पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4823 वर्ष 2020

==========

श्रीमती सोनी, पुत्री-श्री विनोद कुमार सिन्हा, पत्नी-श्री कुमार गौरव, निवासी- हाउस नं.-170, ए.पी. कॉलोनी, गया, थाना- रामपुर, जिला- गया।

... ...याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य महाप्रबंधक, स्थानीय प्रमुख के माध्यम से कार्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. - 103, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना।
2. मुख्य महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकारी), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. - 103, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना।
3. मुख्य प्रबंधक (घरेलू पूछताछ), भारतीय स्टेट बैंक, सतर्कता विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. - 103, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना।
4. महाप्रबंधक एवं नियुक्ति प्राधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, सतर्कता विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. - 103, पश्चिम गांधी मैदान, पटना।
5. उप महाप्रबंधक (बी और ओ) और अनुशासनात्मक प्राधिकारी, राज्य बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, भावेश भवन, बीस्टन रोड, खंजरपुर, भागलपुर.
6. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, क्षेत्र-IV, गया शाखा भवन (तृतीय तल), गया।
7. उप महाप्रबंधक (अपील और समीक्षा), कॉर्पोरेट विभाग सेंटर, 8 वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई।
8. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बोध-गया शाखा, बोध-गया, जिला- गया।

... ... प्रत्युत्तरकर्ता/प्रतिवादी

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री अरविंद कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री कौशलेन्द्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

==========

याचिकाकर्ता को वर्ष 2010 में भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था - वह 28.04.2014 से 28.04.2015 तक बोधगया शाखा में सहायक प्रबंधक के रूप में तैनात थी। - उसके खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने बैंक को अपने लीज्ड हाउस आवास के लिए गलत इरादे से गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया और मकान मालकिन श्रीमती रीता सिन्हा के लिए 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) के पांच (50 बैंकर्स चेक) का भुगतान ले लिया।

आंतरिक जांच के बाद, याचिकाकर्ता को आरोपों में दोषी पाया गया, जिसके कारण उसे भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 67(i) के अनुसार सेवा से हटाने का बड़ा दंड दिया गया - इसके खिलाफ, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात मुख्य महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकारी), भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष अपील की, जहां उसकी अपील को 03.03.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया - समीक्षा याचिका जिसे प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा 16.12.2017 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया - इसलिए यह रिट।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही मनमानी, अवैध और अनुचित थी। गवाह परीक्षा की अनुपस्थिति ने जांच की अखंडता को कमजोर कर दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा है कि श्रीमती रीता सिन्हा काल्पनिक नहीं हैं, क्योंकि वह अपने पिता जितेंद्र नाथ बोस की मृत्यु के बाद वैध मकान मालकिन हैं और भारतीय स्टेट बैंक के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं और साक्ष्य पर उचित विचार न करने का संकेत देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का कहना है कि याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक, अपीलीय और समीक्षा अधिकारियों के समक्ष सभी उपलब्ध उपायों का उपयोग कर लिया है। बैंक का तर्क है कि याचिकाकर्ता इन कार्यवाहियों के दौरान अपना मामला साबित करने में विफल रही और अपनी स्थिति का

समर्थन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम नरेंद्र कुमार के मामले के उदाहरण पर निर्भर करता है:

आयोजित,

वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया मूल आरोप यह है कि श्रीमती रीता सिन्हा एक काल्पनिक मकान मालकिन हैं, जो सही नहीं है। वास्तव में, श्रीमती रीता सिन्हा मकान मालकिन हैं, जो डीड से ही बहुत स्पष्ट है। डीड की प्रासंगिक सामग्री जो डीड के पेज नंबर 3 पर मौजूद है, उद्धृत की गई है: अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही वास्तव में गवाहों की गवाही और साक्ष्य की उचित जांच के अभाव में त्रुटिपूर्ण और विकृत थी। अदालत ने माना कि श्रीमती रीता सिन्हा के काल्पनिक मकान मालकिन होने का निष्कर्ष पर्याप्त सबूतों से पुष्ट नहीं हुआ

***तदनुसार, यह माना जाता है** कि पूरी विभागीय कार्यवाही पूरी तरह से गलत है और उचित तरीके से संचालित नहीं की गई थी। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 27.04.2016 का आदेश; प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 03.03.2017 का आदेश और प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित दिनांक 16.12.2017 का आदेश और साथ ही जांच रिपोर्ट को रद्द किया जाता है।*

प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादियों को उक्त अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को वेतन देने का भी निर्देश दिया जाता है। हालांकि, प्रतिवादी भारतीय स्टेट बैंक को यह अवसर दिया जाता है कि वह विभागीय कार्यवाही को नए सिरे से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इस बार प्राधिकरण इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों का ध्यान रखेगा, साथ ही इस मामले में साक्ष्य भी लेगा।

रिट आवेदन की अनुमति है

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

दिनांक : 20-04-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादी-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत/राहतों के लिए दायर की गई है:

"(I) दिनांक 27.04.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता पर 'सेवा से हटाने' का एक बड़ा दंड लगाया गया है।

(II) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 03.03.2017 के आदेश को रद्द करने के लिए, जिसे दिनांक 04.03.2017 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, जिसके तहत, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 27.04.2016 के उक्त जुर्माना आदेश (अनुलग्नक-1) के खिलाफ दायर दिनांक 12.01.2017 की अपील को प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(III) प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित दिनांक 16.12.2017 के आदेश को रद्द करने के लिए, जिसे दिनांक 11.01.2018 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसके तहत, अपीलीय प्राधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 11.09.2017 की समीक्षा याचिका को भी प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(IV) याचिकाकर्ता को सभी सेवा लाभों के साथ बहाल किया जाए।

(V) और/या याचिकाकर्ता को कोई अन्य समुचित राहत प्रदान करने के लिए, जिसके लिए वह कानून की दृष्टि में हकदार हो।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2010 में भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था और

उनकी सेवा की पुष्टि के बाद उन्हें बोधगया शाखा में सहायक प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया था, जहां वे 28.04.2014 से 28.04.2015 तक रहीं। भारतीय स्टेट बैंक की बोधगया शाखा में पदस्थापना के दौरान उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने लीज्ड हाउस आवास के लिए गलत सूचना/दस्तावेज बैंक को गलत नीयत से प्रस्तुत किया और मकान मालकिन श्रीमती रीता सिन्हा के लिए जारी किये गये पांच (50 बैंकर्स चेक, जिनकी कीमत 75,000/- रुपये (पचहत्तर हजार रुपये) थी, का भुगतान शाखा/बैंक से बिना अधिदेश प्राधिकरण के केवल 19.01.2015 को और 10.02.2015 को लिया और इसलिए बैंक को 75,000/- रुपये (पचहत्तर हजार रुपये) का संभावित नुकसान होने की संभावना है। उक्त पत्र 17.02.2015 को भारतीय स्टेट बैंक की बोधगया शाखा के मुख्य प्रबंधक द्वारा जारी किया गया था और याचिकाकर्ता को दिया गया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने 20.02.2015 को अपना जवाब दाखिल किया। विद्वान वकील ने आगे कहा कि 28.04.2015 को याचिकाकर्ता को भारतीय स्टेट बैंक की बोधगया शाखा से भारतीय स्टेट बैंक की फतेहपुर शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। वकील ने आगे कहा कि पत्र संख्या 17.07.2015 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 6, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा याचिकाकर्ता से फिर से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए और बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारओं 406 और 420 के तहत दिनांक 22.07.2015 को बोधगया पीएस केस संख्या 251/15 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता की गलत मंशा के कारण बैंक को 75,000/- रुपये का संभावित नुकसान होने की संभावना है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी बैंक कभी घाटे में नहीं रहा क्योंकि उक्त 75,000 रुपये याचिकाकर्ता के वेतन से पहले ही काट लिए गए थे और बैंक के खाता संख्या में जमा कर दिए गए थे। इस आधार पर, याचिकाकर्ता को 03.04.2016 को एबीपी संख्या 796/2016 के तहत अग्रिम जमानत दी गई थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि 10.11.2015 को (जैसा कि अनुलग्नक-6 में निहित है), याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रमुख दंड के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए आरोपों का विवरण जारी किया गया था और प्रतिवादी संख्या 5, अर्थात् उप महाप्रबंधक (बी एंड ओ) और अनुशासनात्मक प्राधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 25.11.2015 के पत्र के माध्यम से उसे तामील किया गया था, जैसा कि रिट याचिका के पृष्ठ 4 पर अनुलग्नक-I में निहित है जिसमें आरोपों का अनुच्छेद निम्नानुसार था:

"28/04/2014 से 28.04.2015 की अवधि के दौरान बोधगया शाखा में सहायक प्रबंधक (सीआरओ) के रूप में तैनात रहते हुए, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी

निष्ठा, परिश्रम, निष्ठा और ईमानदारी से करने में विफल रहे और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 50(4) का उल्लंघन करते हुए बैंक के हित के लिए अत्यधिक प्रतिकूल तरीके से काम किया।"

रिट याचिका के पृष्ठ 43, अनुलग्नक-II पर आरोपों का विवरण इस प्रकार दिया गया है:-

<u>आरोप का विवरण</u>

बोधगया शाखा में सहायक प्रबंधक (सीआरओ) के पद पर पदस्थापित रहते हुए (28/04/2014 से 28/04/2015 तक) आपने कथित रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:-

1. आपने गलत इरादे से बैंक को एक मनगढ़ंत और झूठा पट्टा आवास प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

2. यह जानते हुए भी कि मकान मालिक श्रीमती इंदिरा सिंह हैं, आपने गलत इरादे से अपने लिए आर्थिक लाभ लेने के लिए श्रीमती रीता सिन्हा नामक एक धोखेबाज मकान मालिक का नाम लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रकार आपने पट्टे पर दिए गए मकान के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया और इस संबंध में गलत घोषणा की।

3. आपने 10/02/2015 को 15,000/- रुपये के बैंकर्स चेक संख्या 678364, 678364 और 678365 से भुगतान लिया, जिसमें यह तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया कि भुगतान आपकी मकान मालकिन के लिए था और वह उक्त तिथियों पर बोधगया शाखा में मौजूद थी। यहां तक कि, आपने लीज्ड रेंटल के उक्त बैंकर्स चेक के पीछे मकान मालकिन के कथित जाली हस्ताक्षर भी किए।

4. आपकी उपरोक्त चूक और कमीशन के कारण, बैंक को प्रतिष्ठा की गंभीर हानि के अलावा, रु. 75,000/- का नुकसान और ब्याज और खर्च होने की संभावना है।

दस्तावेजों की सूची रिट याचिका के पृष्ठ 44, अनुलग्नक-III पर निम्नानुसार दर्शाई गई है:-

<u>दस्तावेजों की सूची</u>

"1. पट्टे पर दिए गए घर का दस्तावेज।

2. बी.सी.एच. संख्या 678363, 678364 और 678365 के लिए 15,000/- रुपये प्रत्येक के बैंकर चेक जारी किए गए तथा बैंकर चेक संख्या 678367 और 678369 के लिए 15,000/- रुपये प्रत्येक के बैंकर चेक जारी किए गए।

3. बैंक खाते संख्या 678363, 678364 और 678365 के लिए रु. 1,00,000 के बैंकर चेक वाउचर का भुगतान किया गया। 1,000/- प्रत्येक के लिए दिनांक 19/01/2015 और बैंकर्स चेक संख्या 678367 और 678369 के लिए दिनांक 10/02/2015 को 15,000/- प्रत्येक।

4. दिनांक 19/01/2015 और 20/02/2015 के वीवीआर।

5. श्री रंजन कुमार, उप प्रबंधक, पीबीबी डॉक्टर्स कॉलोनी शाखा पटना के पत्र दिनांक 24/02/2015 द्वारा सत्यापन रिपोर्ट;

यह एसबीआई अधिकारी सेवा नियम के नियम 68(2) (वी) (सी) के अनुसार दस्तावेजों की अंतिम सूची नहीं है और बैंक जांच के दौरान कुछ और दस्तावेज जोड़ सकता है।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त चार्ज मेमो के जवाब में याचिकाकर्ता ने अपना लिखित बचाव बयान प्रस्तुत किया है तथा आरोपों के बयान में उल्लिखित आरोपों का खंडन किया है। याचिकाकर्ता का मामला जांच अधिकारी के समक्ष भेजा गया तथा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया तथा उसे विभागीय कार्यवाही में अपनी ओर से अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया। जांच में जांच अधिकारी ने आरोपों की कुल संख्या चार होने के कारण आरोपों की जांच की तथा सभी आरोप सिद्ध पाए गए, इसलिए आरोप भी सिद्ध पाया गया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 5, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक (बी एंड ओ) और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष अपना कारण बताओ प्रस्तुत किया है, लेकिन अंतिम आदेश में उसे दोषी पाया गया है और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम के नियम 67 (i) के अनुसार याचिकाकर्ता पर 'सेवा से हटाने' का एक बड़ा दंड लगाया गया है। याचिकाकर्ता को दिनांक 05.05.2016 के पत्र (रिट याचिका के अनुलग्नक-1) के माध्यम से सूचित किया गया है, जो कि विवादित आदेश है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपील दायर की है, जिस पर विचार नहीं किया गया और उसे 03.03.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता को 04.03.2017 के पत्र (रिट याचिका के अनुलग्नक-2) के माध्यम से सूचित किया गया। इस आदेश को भी चुनौती दी गई है। उसके बाद याचिकाकर्ता ने 11.09.2017 को समीक्षा याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया और इसे याचिकाकर्ता को 11.01.2018 के पत्र (रिट याचिका के अनुलग्नक-3) के माध्यम से सूचित किया गया है, यह भी चुनौती दिया गया आदेश है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि आरोपित आदेश पूरी तरह से अवैध, मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुचित और कानून की नज़र में खराब हैं क्योंकि आरोपित आदेश पारित करते समय न तो प्रतिवादी संख्या 2 और न ही प्रतिवादी संख्या 4 और 7 ने इस बात पर विचार किया और सराहना की कि विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी के समक्ष किसी गवाह की जांच या जिरह नहीं की गई है और केवल सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। आगे दलील दी गई है कि उक्त सत्यापन रिपोर्ट को इस कारण से सबूत नहीं माना जा सकता है क्योंकि सत्यापन अधिकारी को न तो जांच अधिकारी के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया गया था और न ही उसकी जांच या जिरह की गई थी।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने को आगे प्रस्तुत किया कि उक्त विभागीय कार्यवाही **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य** के मामले में दिए गए फैसले का घोर उल्लंघन करते हुए आयोजित की गई है, जिसकी रिपोर्ट **(2009) 2 एससीसी 570** में की गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है और किसी भी सामग्री को गवाह के आधार पर निश्चित रूप से साबित किया जाना चाहिए।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी या समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला हार गई है। विभागीय कार्यवाही करते समय प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत पालन किया है और बचाव का अवसर देने के बाद आदेश पारित किए हैं। वकील ने आगे कहा कि जांच अधिकारी का निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को दूसरा कारण दाखिल करने का अवसर दिया है और दूसरा कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने पर प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है और मामले के हर पहलू पर विचार करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियमावली के नियम संख्या 67(i) के अनुसार 'सेवा से हटाने' का एक

बड़ा दंड लगाते हुए अंतिम आदेश पारित किया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि नियुक्ति प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को प्रस्तावित दंड पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया है। जिसके जवाब में याचिकाकर्ता उपस्थित हुई और उसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी ने 05.05.2016 को स्पष्ट आदेश पारित किया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् मुख्य महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकारी), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष अपील की, जहां उसकी अपील 03.03.2017 के स्पष्ट आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। अपील में पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने समीक्षा याचिका दायर की, जिसे प्रतिवादी संख्या 7 ने भी 16.12.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की, जो योग्यता के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

11. अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, प्रतिवादी - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विद्वान वकील ने **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम नरेंद्र कुमार पांडे (2013) 2 एससीसी 740** के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि हर मामले में मौखिक साक्ष्य आवश्यक नहीं है। उन्होंने आगे **डॉ. नूरुल अहद बनाम बिहार राज्य और अन्य 2008 (3) पीएलजेआर** में रिपोर्ट किए गए मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि हर मामले में मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

12. दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों को देखने के बाद, इस न्यायालय को यह पता चला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आरोप लगाया गया है, और उक्त आरोप को साबित करने के लिए चार आरोप लगाए गए, सभी आरोप सिद्ध पाए गए और इसलिए आरोप को सिद्ध माना जाना चाहिए। मूल आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने अपने लीज हाउस आवास के उद्देश्य से प्रतिवादी भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष एक काल्पनिक महिला श्रीमती रीता सिन्हा का झूठा और मनगढ़ंत लीज हाउस प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उस आधार पर पांच महीने के लिए मासिक घर का किराया लिया। उक्त मकान/फ्लैट वास्तव में श्रीमती इंदिरा सिंह और श्री कुमार गौरव का है जैसा कि पूर्ण बिक्री के पंजीकृत विलेख संख्या 6581 दिनांक 11.03.2013 के अवलोकन से स्वयं स्पष्ट है जो अभियोजन प्रदर्श संख्या 7 के रूप में विभागीय जांच का हिस्सा है। उक्त काल्पनिक जमीन महिला श्रीमती रीता सिन्हा और वास्तविक फ्लैट मालिकों, अर्थात् श्रीमती इंदिरा सिंह और श्री कुमार गौरव के बीच कोई संबंध नहीं है। यह प्रतिवादी के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 22 में डाला गया तथ्यात्मक मैट्रिक्स है। पूर्ण बिक्री के उक्त पंजीकृत विलेख की फोटोकॉपी भी संलग्न की गई है। पूर्ण बिक्री के उक्त विलेख को पढ़ने पर, यह न्यायालय अत्यंत आश्चर्यचकित था कि न तो जांच अधिकारी, न ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी, न ही अपीलीय

प्राधिकारी और न ही समीक्षा करने वाले प्राधिकारी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है । वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया मूल आरोप यह है कि श्रीमती रीता सिन्हा एक काल्पनिक मकान मालकिन हैं जो सही नहीं है। वास्तव में, श्रीमती रीता सिन्हा मकान मालकिन हैं जो कि विलेख से ही स्पष्ट है। विलेख की प्रासंगिक सामग्री जो विलेख के पृष्ठ संख्या 3 पर मौजूद है, निम्नानुसार उद्धृत की गई है:-

> "चूंकि, विचाराधीन भूमि, जिसका इस विलेख की प्रथम अनुसूची में पूर्ण विवरण है, भूस्वामियों की पैतृक संपत्ति है। नगरपालिका सर्वेक्षण खतियान में श्री सुरेश चंद्र कविराज के दोनों पुत्र श्री शिशिर कुमार कविराज और श्री मिहिर कुमार कविराज का नाम विचाराधीन भूमि के भूस्वामियों के रूप में दर्ज है। पारिवारिक बंटवारे के बाद, कौमुदी कुमारी मुखर्जी को (1) मृतक शिशिर कुमार कविराज की पत्नी श्रीमती जदुमोनिक कविराज (2) मृतक सुरेश चंद्र कविराज के पुत्र मिहिर कुमार कविराज और (3) श्री जनेंद्र नाथा मुखर्जी की पत्नी और स्वर्गीय सुरेश चंद्र कविराज की पुत्री कौमुदी कुमारी मुखर्जी द्वारा और उनके बीच निष्पादित विभाजन विलेख के माध्यम से विचाराधीन भूमि पर अपना स्वामित्व और कब्जा मिला और पटना रजिस्ट्री कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 23, पृष्ठ संख्या 424 से 440 में संख्या 1909/1941 के तहत पंजीकृत किया गया। बोस और श्रीमती रीता सिन्हा के पिता) ने कौमुदी कुमारी मुखर्जी द्वारा निष्पादित पूर्ण बिक्री के पंजीकृत विलेख के माध्यम से उक्त जमीन खरीदी और बुक नंबर 1, वॉल्यूम संख्या 57, पेज संख्या 92 से 100 पटना रजिस्ट्री कार्यालय में 2868/1960 के माध्यम से पंजीकृत किया। जितेंद्र नाथ बोस की मृत्यु के बाद (1) श्रीमती नीलिमा बोस और (2) श्रीमती रीता सिन्हा, स्वर्गीय जितेंद्र नाथ बोस की एकमात्र संतान, स्वर्गीय जितेंद्र नाथ बोस के खाते में आईं और इस प्रकार भूस्वामियों को संयुक्त रूप से विचाराधीन जमीनों पर स्वामित्व और कब्जा मिल गया। स्वर्गीय जितेन्द्र नाथ बोस की मृत्यु के बाद। परिवार की कर्ताधर्ता होने के नाते श्रीमती नीलिमा बोस ने पटना नगर निगम में संबंधित संपत्ति का अपने नाम पर दाखिल खारिज करा लिया।

13. उक्त डीड के अवलोकन से इस न्यायालय को यह पता चला कि जिस जमीन पर कथित अपार्टमेंट का निर्माण किया गया है वह नगरपालिका के अधिकार

अभिलेखों में सुरेश चंद्र कविराज के नाम पर दर्ज है, जिनके दो बेटे श्री शिशिर कुमार कविराज और श्री मिहिर कुमार कविराज और एक बेटी कौमुदी कुमारी मुखर्जी हैं, जिनका विवाह जितेंद्र नाथ मुखर्जी के साथ हुआ है। सुरेश चंद्र कविराज के उक्त बेटों और बेटियों ने पटना रजिस्ट्री ऑफिस में बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 23, पेज नंबर 424 से 440 में रजिस्टर्ड डीड नंबर 1909/1941 के जरिए बंटवारा किया। उक्त कौमुदी कुमारी मुखर्जी ने पटना रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड डीड के जरिए अपना हिस्सा जितेंद्र नाथ बोस नामक व्यक्ति को बेच दिया था। उक्त जितेंद्र नाथ बोस अपनी पत्नी नीलिमा बोस और बेटी रीता सिन्हा को पीछे छोड़ गए। इस तरह, श्रीमती रीता सिन्हा, जिन्हें बैंक अधिकारी द्वारा के तहत एक काल्पनिक महिला बताया गया है, वास्तव में विचाराधीन संपत्ति की भूमि महिला/भूमि स्वामी हैं। इसलिए, प्रतिवादी भारतीय स्टेट बैंक का यह निष्कर्ष कि रीता सिन्हा एक काल्पनिक महिला हैं, पूरी तरह से गलत है और विवेक का प्रयोग न करना है, जो याचिकाकर्ता को सजा का आधार है। इस न्यायालय को यह पता चला है कि याचिकाकर्ता की जांच करने में शामिल सभी बैंक अधिकारियों ने, चाहे वे मूल स्तर के हों, अपीलीय स्तर के हों या समीक्षा स्तर के, इस मामले पर अपना विवेक प्रयोग नहीं किया है।

14. इस न्यायालय का यह भी दृढ़ मत है कि **रूप सिंह नेगी (ऊपर)** के मामले में निर्धारित कानून का घोर उल्लंघन हुआ है, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ 14 और 15 निम्नानुसार उद्धृत हैं:-

> **"14.** *निस्संदेह, विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध पाया जाना चाहिए। जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों पर विचार करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचे। जांच अधिकारी द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान एकत्र किए गए कथित साक्ष्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। उक्त दस्तावेजों को साबित करने के लिए किसी गवाह की जांच नहीं की गई। प्रबंधन के गवाहों ने केवल दस्तावेज पेश किए और उनकी सामग्री को साबित नहीं किया। जांच अधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एफआईआर पर भरोसा किया गया, जिसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता था।*

> 15. हमने पहले ही देखा है कि जांच अधिकारी द्वारा जिस एकमात्र बुनियादी सबूत पर भरोसा किया गया है, वह अपीलकर्ता द्वारा पुलिस के समक्ष किया गया कथित कबूलनामा है। अपीलकर्ता के अनुसार, उसे उक्त कबूलनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में प्रताड़ित किया गया था। अपीलकर्ता बैंक का कर्मचारी है, इसलिए उक्त कबूलनामे को साबित किया जाना चाहिए था। यह दिखाने के लिए कुछ सबूत रिकॉर्ड पर लाए जाने चाहिए थे कि वह बैंक ड्राफ्ट बुक चुराने में शामिल था। बेशक, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। यहां तक कि कोई अप्रत्यक्ष सबूत भी नहीं था। रिपोर्ट के सार से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने उसे दोषी मानने का मन बना लिया था, अन्यथा वह इस आधार पर आगे नहीं बढ़ता कि अपराध इस तरह से किया गया था कि कोई सबूत नहीं बचा था।"

15. यह मानने के लिए कि वह एक काल्पनिक महिला है, गवाहों के साक्ष्य अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अलावा, यह भी इस अदालत को पता चला है कि श्रीमती रीता सिन्हा वास्तव में जमीन की मालकिन हैं और उक्त इंदिरा सिंह और कुमार गौरव ने बिक्री विलेख के आधार पर केवल एक फ्लैट यानी फ्लैट नंबर 101 खरीदा है। कार्यवाही में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता फ्लैट नंबर 101 को किराए पर लेने का प्रस्ताव रखती है, बल्कि यह वहां है कि उसने जमीन की मालकिन श्रीमती रीता सिन्हा से बात की है जिनके नाम पर बिजली बिल हैं। प्रतिवादी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से, जो रिट याचिका में संलग्न हैं, के जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक आर-7 के रूप में, यह इस अदालत को पता चला है कि श्रीमती रीता सिन्हा के नाम पर बिजली बिल का अस्तित्व बिल्कुल स्वाभाविक है ।

16. अनुलग्नक-7 के जवाबी हलफनामे में आए तथ्यों के आलोक में, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि विभागीय कार्यवाही गलत तरीके से की गई है और इस प्रकार, **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (ऊपर) तथा डॉ. नूरुल अहद (ऊपर)** के मामले में दिए गए निर्णय, जिस पर प्रतिवादी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील ने भरोसा किया है, वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि मौखिक साक्ष्य का प्रश्न हमेशा तभी आवश्यक नहीं होता जब रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों पर उचित रूप से विचार किया गया हो। वर्तमान मामले में स्थिति अलग है।

17. इसलिए, उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ है कि पूरी विभागीय कार्यवाही पूरी तरह से विकृत है और उचित तरीके से संचालित नहीं की गई है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 27.04.2016 का आदेश; प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 03.03.2017 का आदेश और प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित दिनांक 16.12.2017 का आदेश और साथ ही जांच रिपोर्ट को रद्द किया जाता है।

18. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की ज्वाइनिंग को तत्काल स्वीकार करें। प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान करें। हालांकि, प्रतिवादी भारतीय स्टेट बैंक को यह अवसर दिया जाता है कि बैंक विभागीय कार्यवाही को नए सिरे से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इस बार प्राधिकरण इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों का ध्यान रखेगा, साथ ही इस मामले में साक्ष्य भी लेगा।

19. परिणामस्वरूप, रिट याचिका उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है।

(डॉ. अंशुमान, न्यायाधीश)

अश्विनी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।